फर्द अहकाम

हरिनारायण बनाम सिंचाई विभाग

नाम न्यायालय

केस संख्या 7/21 2021/97

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	3-11-24	पत्रा[illegible] हुई। ~~मिलो. सहाब~~ के [illegible] में [illegible] करने/ कन्डो[illegible] [illegible]ोला द्वारा स्थानि[illegible] करने के कारण [illegible] की जा सकी। [illegible] 5/3/24 को प्रस्तुत हो।	
	5/3/24	फरबली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता/उपस्थित नहीं वस्ते कार्यालय वादी/प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद हाजरी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मोसल कुमार होकर पेश हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested